प्र0:–92/2022

उनवानः– राजाराम बनाम लक्ष्मीकान्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

प्रकरण न0 92/2022

दिनांकः– 06.06.2022

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. राजाराम पुत्र गोपी मीना
2. रघुनाथ प्रसाद पुत्र गोपी मीना
3. सज्जो पत्नि स्व0 दीनदयाल मीना
4. निखिल पुत्र स्व0 दीनदयाल मीना
5. प्रवीण पुत्र स्व0 दीनदयाल मीना

निवासीयान बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. लक्ष्मीकान्त पुत्र कालूराम मीना
2. ललित पुत्र कालूराम मीना
3. कालूराम पुत्र रामसहाय मीना
4. धनफूल पत्नि कालूराम मीना

समस्त निवासीयान मीना निवासी बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

5. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण न0 1 ता 4

निर्णय दिनांक 04.06.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत स्थायी निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 की खातेदारी वादीगण 3/7 हिस्से का वादी न0 1 व 2 की बहिन व वादी न0 3 की ननद व वादी नम्बर 4 व 5 की भुआ हसमी, किशनी, प्रकाशी, इन्द्रावती के नाम दर्ज है। जिन्होने अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 01.06.2022 को वादीगण के हक मे करा दिया है इस प्रकार उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार व मालिक वादीगण है। वर्णित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी है जिसको वादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिससे प्रतिवादीगण या अन्य व्यक्ति कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है।

बाका दिनांक 02.06.2022 को वादी न0 1 व 2 वर्णित भूमि पर आगामी फसल के लिए सूल बबूल कर रहे थे कि गैरसायलान हाथो मे लाठी डण्डे लेकर आये और वादीगण से कहा कि अब हम इस भूमि पर तुम्हे काश्त नही करने देगे। तथा हम लट्ठ के बल पर उक्त भूमि को तुमसे छीन लेगे तथा हम उक्त भूमि को जबरदस्ती जोतेगे वादी न0 1 व 2 ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया लेकन वे नही माने इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 है0 मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आदेश से पाबन्द किया जावे कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 मे सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे एवं सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल न0 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ता 4 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 20.06.2024 को उपस्थिति दर्ज कराई, उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात गैरसायलान व उनके वकील ने जबाब पेश नही करने की दशा मे दिनांक 03.03.2025 को जबाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य नियत की गई , प्रतिवादीगण व उनके वकील को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन मे ग्राम बहादुरपुर की जमाबन्दी सम्वत जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–1 तथा हकत्याग पत्र की किता 11 फोटो प्रति पेश की वादी राजाराम व रधुनाथ प्रसाद मीना का शपथ पत्र पेश किया।

वादीगण वकील की बहस सुनी गई, वादीगण वकील ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119 / 0.07, 1120 / 0.25 की खातेदारी वादीगण 3 / 7 हिस्से का वादी न0 1 व 2 की बहिन व वादी न0 3 की ननद व वादी नम्बर 4 व 5 की भुआ हसमी, किशनी, प्रकाशी, इन्द्रावती के नाम दर्ज है। जिन्होने अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 01.06.2022 को वादीगण के हक मे करा दिया है इस प्रकार उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार व मालिक वादीगण है। वर्णित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी है जिसको वादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिससे प्रतिवादीगण या अन्य व्यक्ति कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। अतः प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119 / 0.07, 1120 / 0.25 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे एवं वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम बहादुरपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे वादी 1 व 2 प्रत्येक 1 / 7–1 / 7 के वादी न0 3, 4, 5 प्रत्येक 1 / 21–1 / 21 के खातेदार काश्तकार तथा इन्द्रावती पुत्री गोपी, किशनी पुत्री गोपी, प्रकाशी देवी पुत्री गोपी, हशमी पुत्री गोपी प्रत्येक 1 / 7–1 / 7 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार इन्द्रावती पुत्री गोपी, किशनी पुत्री गोपी, प्रकाशी देवी पुत्री गोपी, हशमी पुत्री गोपी ने पत्रावली मे शामिल रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र अनुसार अपना हिस्सा वादी न0 1, 2, 4, 5 के हक मे किया गया है, लेकिन प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है और नाही प्रतिवादीगण ने जबाब पेश नही किये जाने से, तथा प्रतिवादीगण अनुपस्थित न्यायालय रहने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119 / 0.07, 1120 / 0.25 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे महाहमत मदाखलत पैदा नही करे,

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:42 IST
Reason: SelfAttested